

क्रमांक: दि०ज०बो० / प्र०अ०अ०(आर०टी०आई)अपील न० 1438 / 2015 /

दिनांक: 06.11.2015

श्री आर० एल० लडवाल,  
बी-4 / 299, नन्द नगरी,  
दिल्ली-110093.

उप निदेशक (राजस्व)पू० / उ०पू०

### आदेश

इस आदेश द्वारा श्री आर० एल० लडवाल, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 11-08-2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 05.11.2015 को अपील की सुनवाई की गई। नियत समयानुसार अपीलकर्ता श्री आर० एल० लडवाल, उपस्थित हुए एवं श्री राजेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ०पू०)-I, ककरोला मोड़, जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुई।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 15.07.2015 को अपीलकर्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिसका सही जवाब नहीं मिलने के कारण यह अपील दिनांक 11.08.2015 को दायर की।

आर० टी० आई० की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि सहायक जनसूचना अधिकारी / जनसूचना अधिकारी ने आर० टी० आई० के प्रार्थनापत्र का उत्तर दिया है किन्तु अपीलकर्ता ने कहा कि उत्तर सही नहीं है। सहायक जनसूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि दिए गए जवाब की प्रतिलिपि एवं बिल सम्बन्धी पूर्ण जानकारी की प्रतिलिपि अपीलकर्ता को अभी प्रदान की जाए एवं इस आदेश के पारित होने के दस दिन के अन्दर अपीलकर्ता की शिकायत को नियमानुसार दूर करने का प्रयास किया जाए।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया।

यदि अपीलकर्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के संमक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता है :-

केन्द्रीय सूचना आयोग,  
द्वितीय तल, बी-विंग,  
अगस्त क्रान्ति भवन,  
भीकाजी कामा प्लेस,  
नई दिल्ली- 110066

ह० / -  
निधि श्रीवास्तव  
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्री आर० एल० लडवाल, बी-4 / 299, नन्द नगरी, दिल्ली-110093
2. उप निदेशक (राजस्व) उ० / उ०पू०
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (उ०पू०)-I, जी०टी०बी० एनक्लेव।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई०डी०पी०), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट पर इस आदेश को डालने हेतु।

Nidhi